

आवेदन -पत्र

निदेशक/संयुक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय,

विषय:- 80 वर्ष या अधिक आयु प्राप्त पारिवारिक पेंशनर के अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन अधिकार करने हेतु राज्य सरकार के ज्ञापन संख्या एफ.12(3)वित्त नियम 2008 दिनांक 30.6.09 के अन्तर्गत जन्म तिथि अंकित करने बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निम्नांकित विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत है-

1.(अ)आवेदक का नाम व वर्तमान पता _____

(ब)कर्मचारी /पेंशनर का नाम _____

(स) पेंशन /पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश संख्या _____

(द) सेवानिवृत्ति की तिथि/सेवा में रहते मृत्यु की तिथि _____

(फ) कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्ति हुई है _____

2.(अ) पेंशनर के पति/पत्नि का नाम _____

(ब) कोषालय का नाम जहाँ से पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही है _____

3. जन्म तिथि के प्रमाण में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न है:- (कृपया, नीचे वर्णित निर्देशों को ध्यान में रखते हुये संलग्न दस्तावेज पर पर सही का निशान लगावे। केवल एक ही दस्तावेज चाहिये।)

(अ) शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र

अथवा

(ब) मेडिकल डायरी/पासपोर्ट/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/निर्वाचन पहचान पत्र /राशनकार्ड (उक्त सभी कागजात दिनांक 12.9.2008 से पहले के जारी किये हुये होने चाहिये) की प्रमाणित फोटो प्रति।

अथवा

(स) उपखण्ड मजि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जिसमें जन्म तिथि का सत्यापन है। कृपया, जन्म तिथि अंकित करने का श्रम करें।

भवदीय,

नोट:-1. उक्त क्रमांक 3 में अ.ब.स में से (अ) में वर्णित दस्तावेज नहीं होने पर (ब) में वर्णित दस्तावेज एवं (ब) में वर्णित दस्तावेज नहीं होने पर ही (स) का दस्तावेज संलग्न करना है।

2.पेंशन/पारि0 पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है, जिसमें पारि0 पेंशन प्रारम्भ करने का उल्लेख हो।

3.जिस कार्यालय से पी0पी0ओ /एफ.पी0पी0ओ जारी हुआ है ,आवेदन उसी कार्यालय को भिजवाया जाना है। किन्तु, दिनांक 1.9.88 से पूर्व की सेवा निवृत्ति के मामले में आवेदन उस कार्यालय को भेजना है ,जहाँ से प्री-88 संशोधित अधिकारि जारी हुई हो।